

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
(चिकित्सा अनुभाग-6)

संख्या-03/2021/1992/पांच-6-2021,
लखनऊ, 05 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती है :

**उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (तृतीय संशोधन)
नियमावली, 2021**

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2021 कही जायेगी।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम-3 का प्रतिस्थापन 2- उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2021, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में, नियम-3 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान खण्ड-“झ” और “ञ” के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

(झ) (एक) “सरकारी चिकित्सालय” का तात्पर्य राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा चलाये जा रहे या किसी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय से सहबद्ध चिकित्सालय से है:

(झ) (दो) “प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों” का तात्पर्य ऐसे निजी चिकित्सालयों से है, जो कि राज्य

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(झ) “सरकारी चिकित्सालय” का तात्पर्य चिकित्सा विश्वविद्यालय/चिकित्सा महाविद्यालय/चिकित्सा संस्थान/स्वशासी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और किसी सरकारी चिकित्सालय से सम्बद्ध किसी चिकित्सालय से है।



सरकार द्वारा सी0जी0एच0एस0 योजना के अधीन अधिसूचित किये जाय:

(ज-1)“स्वास्थ्य कार्ड” का तात्पर्य लाभार्थी की पहचान की पुष्टि के लिये राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये कार्ड से है, जो स्वास्थ्य पत्र से भिन्न हो।

“स्वास्थ्य कार्ड” का तात्पर्य सरकारी कर्मचारियों/पेन्शनरों और उनके आश्रितों को बेनकदी चिकित्सा उपचार हेतु जारी किये गये कार्ड से है।

नये
उपनियम
का बढ़ाया
जाना

3-उक्त नियमावली में, नियम-3 में उपनियम (द) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम (ध) बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

(ध)“बेनकदी उपचार सुविधा” का तात्पर्य चिकित्सा विश्वविद्यालय/चिकित्सा महाविद्यालय/चिकित्सा संस्थान/स्वशासी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और किसी सरकारी चिकित्सालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों में किसी वित्तीय सीमा के बिना सरकारी कर्मचारियों/पेन्शनरों और उनके आश्रितों के बेनकदी उपचार और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अधीन पैनलकृत निजी चिकित्सालयों में उक्त योजना के अधीन परिभाषित वित्तीय सीमा तक बेनकदी उपचार से है।

नियम-4 का
प्रतिस्थापन

4-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-4 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

समस्त लाभार्थी किसी सरकारी चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय या प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों में निशुल्क चिकित्सा परिचर्या और उपचार पाने के हकदार होंगे। सामान्यतः यह सुविधा लाभार्थी के निवास या तैनाती के

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

समस्त लाभार्थी, चिकित्सा विश्वविद्यालय/चिकित्सा महाविद्यालय/चिकित्सा संस्थान/स्वशासी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और किसी सरकारी चिकित्सालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों में अथवा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के

स्थान पर उपलब्ध करायी जायेगी। चिकित्सा परिचर्या और उपचार के लिये पंजीकरण फीस और अन्य विहित फीस सरकार द्वारा पूर्णतया प्रतिपूरित की जायेगी। आपात मामलों में यदि परिस्थितियों की अपेक्षा हो तो, एम्बुलेन्स भी निशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी।

अधीन पैनलकृत निजी चिकित्सालयों में उपचार के हकदार होंगे। सामान्यतः यह सुविधा लाभार्थी के निवास या तैनाती स्थल पर उपलब्ध करायी जाएगी। चिकित्सा परिचर्या और उपचार के लिये पंजीकरण फीस और अन्य विहित फीस की प्रतिपूर्ति पूर्णतया सरकार द्वारा की जायेगी। अतिआवश्यक/आपात स्थितियों, में एम्बुलेन्स भी निशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी, यदि परिस्थितियों के अनुसार इस प्रकार अपेक्षित हो।

नियम-10 का प्रतिस्थापन 5-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-10 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्, :-

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमतीनगर लखनऊ, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा, के0जी0एम0यू0, लखनऊ और ऐसे अन्य समान सरकारी पोषित संस्थानों में उपचार प्राप्त करने पर यदि लाभार्थी उक्त संस्थानों के चिकित्सा अधीक्षकों द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित/सत्यापित बीजकों की कुल धनराशि की 05 प्रतिशत धनराशि को वहन करने में सहमत हो तो ऐसी स्थिति में उपरोक्त बीजकों को शेष 95 प्रतिशत धनराशि का भुगतान सरकार द्वारा किया जायेगा

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमतीनगर लखनऊ, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ और ऐसे अन्य समान सरकारी वित्त पोषित संस्थानों और किसी सरकारी चिकित्सालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों में बेनकदी उपचार उपलब्ध कराया जायेगा।

जबतक लाभार्थियों को स्वास्थ्य कार्ड जारी नहीं किया जाता है तबतक चिकित्सा विश्वविद्यालय/चिकित्सा महाविद्यालय/चिकित्सा संस्थान/स्वशासी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और किसी सरकारी चिकित्सालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों में अंतरंग उपचार के पश्चात


और ऐसे बीजकों का मुख्य चिकित्साधिकारी या कोई अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित/प्रति हस्ताक्षरित किये जाने से छूट प्रदान की जायेगी। यदि लाभार्थी बीजकों की 05 प्रतिशत धनराशि वहन करने में असहमत हो तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के समक्ष प्राधिकारियों द्वारा बीजकों को सत्यापित और प्रति हस्ताक्षरित किये जाने के पश्चात् ही उक्त संस्थानों के चिकित्सा बीजकों का भुगतान पूर्वत्तर नीति के अनुसार किया जायेगा।

उपर्युक्त के अतिरिक्त प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों में सन्दर्भ के साथ भुगतान के प्रति उपचार प्राप्त किया जा सकता है। विहित नियमावली के अधीन चिकित्सीय देख-रेख या उपचार पर उपगत व्यय हेतु दावा प्रस्तुत किये जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिपूर्णीय होगा।

अन्तःरोगी को प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों में असाध्य रोगों के सी0जी0एच0एस0 दर पर निशुल्क चिकित्सा उपचार और आकस्मिक/अप्रत्याशित रोगी के लिये निशुल्क चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराया जायेगा।

चिकित्सा अधीक्षक द्वारा सत्यापित देयकों की पूर्ण प्रतिपूर्ति लाभार्थी के प्रशासकीय विभाग द्वारा की जायेगी। ऐसे देयकों का मुख्य चिकित्साधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा तकनीकी रूप से परीक्षण किया जाना आवश्यक नहीं है।

परन्तु यह कि ऐसी औषधियां, जो खाद्य वस्तुओं, टानिक, टॉयलेटरीज आदि के रूप में उपयोग की जायं, देयकों में सम्मिलित नहीं की जायेंगी। लाभार्थी ऐसी व्ययों के लागत का वहन करेगा।

आज्ञा से,

(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the constitution, the Governor is pleased to order the following English translation of notification no. dated December ,2021.

**GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
MEDICAL HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT
(MEDICAL SECTION-6)**

No *03/2992/2021*/Panch-6-2021
Lucknow, *05* December, 2021
January

Notification

Miscellaneous

In exercise of the power conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT SERVANTS (MEDICAL ATTENDANCE) RULES, 2011.

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT SERVANTS (MEDICAL ATTENDANCE)
(THIRD AMENDMENT) RULES, 2021

- 1- (1) These rules may be called THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT SERVANTS (MEDICAL ATTENDANCE) (THIRD AMENDMENT) RULES, 2011.
(2) They shall come into force at once.

- (1) In the Uttar Pradesh Government Servant (Medical Attendance) Rules, 2011, hereinafter referred to as the said rules, in rule-3 existing clause in "i" and "j" as set out in column 1 below the clause as set out in column 2 shall be substituted namely:-

Column 1 Existing clause	Column 2 Clause as hearby substituted
i. (1) "Government Hospital" means a Hospital run either by State Government or Central Government or associated to any Government Medical College"; (2) "Authorized Contracted Hospitals" means those Private Hospitals which are notified by the State Government under C.G.H.S. Scheme;	i. "Government Hospital" means any Hospital attached to Medical University /Medical College/Medical Institute/ Autonomous Government Medical College and any Government Hospital.
j. (1) "Health Card" means the card issued by the State Government for confirmation of the Identity of the beneficiary and which is different from the Health Letter.	j. (1) "Health Card" means the card issued for cashless medical treatment to Government Employees/ Pensioners and their dependants.

SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

SUBSTITUTION OF RULE - 3

CL

INSERTION OF NEW
SUBRULE

- (4) In the said rules in rule – 3 after subrule (r) the following subrule (s) shall be inserted namely:-
- (5) "Cashless Treatment Facility" means cashless treatment of Government Employees/ Pensioners and their Dependants in Hospitals attached to Medical University /Medical College/Medical Institute/ Autonomous Government Medical College and any Government Hospital, without any financial limit, and cashless treatment in private hospitals empanelled under Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojna upto the defined financial limit under the scheme.

SUBSTITUTION OF RULE – 4

- 3- In the said rule 4 as set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted namely:-

Column 1 Existing Clause	Column 2 Clause as hereby Substituted
All beneficiaries shall be entitled to free medical attendance and treatment in Government Hospital or Medical College or Authorized Contracted Hospitals. Ordinarily, this facility shall be provided at the place of residence or posting of the beneficiary. Registration fee and other prescribed fees for medical attendance and treatment shall be reimbursed fully by the Government. Ambulance shall also be provided free of charge in urgent/emergent cases, if the circumstances so require.	All beneficiaries shall be entitled to cashless treatment in Hospitals attached to Medical University /Medical College/Medical Institute/ Autonomous Government Medical College and any Government Hospital, or in private hospitals empanelled under Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojna. Ordinarily, this facility shall be provided at the place of residence or posting of the beneficiary. Registration fee and other prescribed fees for medical attendance and treatment shall be reimbursed fully by the Government. Ambulance shall also be provided free of charge in urgent/emergent cases, if the circumstances so require.

SUBSTITUTION OF RULE – 10

- 4- In the said rules the exiting rule 10 as set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted namely:-

Column 1 Existing Clause	Column 2 Clause as hereby Substituted
On availing treatment in Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences, Lucknow, Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh Medical Sciences University, Saifai, Etawah, King George Medical University, Lucknow and such other similar Government financed Institutes, if the beneficiary agrees to bear five percent amount of the total amount of the bills duly signed/verified by the Medical Superintendent of the said Institutes, then in such situation the remaining ninety five percent amount of the aforesaid bills shall be paid by the State Government and such	Cashless Treatment would be provided in Hospitals attached to Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences, Lucknow, Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh Medical Sciences University, Saifai, Etawah, King George Medical University, Lucknow and such other similar Government financed Institutes and any Government Hospital. Till the time, Health Card is not issued to the beneficiaries, the bills verified by medical superintendent, after indoor treatment in Hospitals attached to Medical University /Medical

at

bills shall be exempted from being verified or countersigned by the Chief Medical Officer or any other authorized officer. If the beneficiary disagrees to bear the five percent amount of the bills, the medical bills of the said institutes shall be paid in accordance with the earlier policy only after the bills are verified and countersigned by the competent authorities of the Medical and Health Department.

In addition to the above, the treatment can be obtained with reference against payment from the Authorized Contracted Hospitals. The expenses incurred on medical care or treatment under the prescribed rules will be fully reimbursable on submission of the claim.

Free medical treatment shall be made available for indoor patient at C.G.H.S. rate of incurable diseases and free medical treatment for contingent/unforeseen diseases in Authorized Contracted Hospitals.

College/Medical Institute/ Autonomous Government Medical College and any Government Hospital shall be fully reimbursed by the administrative department of the beneficiary.

Such bills need not be technically examined by Chief Medical Officer or any other authority.

Provided that such medicines which are used as food items, tonics, toiletries etc. will not be included in the bills. The beneficiary will bear the cost of such expenses.

By Order,

Amit Mohan Prasad
5-1-22

(Amit Mohan Prasad)

Additional Chief Secretary